

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 6 अगस्त, 2013

संख्या पी.एफ.-7/8/5/2013-2TCP.- हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8) की धारा 24 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या पी.एफ.-7/35502 दिनांक 4 अप्रैल, 2013 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियम, 1976 को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) नियम, 2013 कहे जा सकते हैं।
2. ये प्रथम जून, 2012 से लागू होंगे।
3. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियम, 1976 में, अंत में, विद्यमान अनुसूची के स्थान पर, निम्न-लिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“अनुसूची

[देखिए नियम 3]

प्रति सकल एकड़ अनुज्ञप्ति फीस की दरें

(लाख रुपये प्रति सकल एकड़ में)

उपयोग का प्रवर्ग	अति उच्च क्षमता जोन	उच्च - I क्षमता जोन	उच्च - II क्षमता जोन	मध्यम क्षमता जोन	निम्न क्षमता जोन
1	2	3	4	5	6
	गुडगांव- मानेसर अर्बन कम्पलैक्स की विकास योजना के भाग बनने वाले क्षेत्र	फरीदाबाद- बल्लभगढ़ कम्पलैक्स, पिन्जौर, कालका- कम्पलैक्स, ग्वाल पहाड़ी तथा पंचकूला का परिधि नियंत्रित क्षेत्र की विकास योजना के भाग बनने वाले क्षेत्र (केवल सभी वाणिज्यिक उपयोग हेतु)	(i) फरीदाबाद- बल्लभगढ़ कम्पलैक्स, पिन्जौर, कालका- कम्पलैक्स, ग्वाल पहाड़ी तथा पंचकूला का परिधि नियंत्रित क्षेत्र की विकास योजना के भाग बनने वाले क्षेत्र (सभी वाणिज्यिक उपयोग को छोड़कर); (ii) सोनीपत-कुण्डली अर्बन एरिया कम्पलैक्स और पानीपत की विकास योजना के भाग बनने वाले क्षेत्र; (iii) गुडगांव जिले में पड़ने वाली सोहना विकास योजना का भाग; तथा, (iv) गुडगांव-मानेसर अर्बन कम्पलैक्स की विकास योजना,	(i) करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, यमुनानगर- जगाधरी, बहादुरगढ़, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, गन्नीर, पलवल, होडल, बावल धारुहेडा तथा पृथला की विकास योजना के भाग बनने वाले क्षेत्र, (ii) फरीदाबाद जिले में पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बंधन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) के अधीन घोषित नियन्त्रित क्षेत्र को शामिल करने के लिए हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा	राज्य में घोषित सभी अन्य नियन्त्रित क्षेत्र

1	2	3	4	5	6
			पटौदी तथा फरुखनगर विकास योजना के भाग बनने वाले क्षेत्रों को छोड़कर जिला गुडगांव में घोषित नियन्त्रित क्षेत्रों को शामिल करने के लिए, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम 8) की धारा-2 के खण्ड (ण) के अधीन घोषित कोई अन्य अर्बन क्षेत्र।	विनियमन अधिनियम 1975 (1975 का 8) की धारा 2 के खण्ड (ण) के अधीन घोषित अर्बन क्षेत्र, (फरीदाबाद-बल्लभगढ़ कम्पलैक्स के नियन्त्रित क्षेत्र छोड़कर तथा पानीपत जिले में तेल रिफाइनरी, पानीपत (बहोली) को छोड़कर	
रिहायशी (प्लाटिड)	10.00	—	7.50	5.00	1.00
रिहायशी (ग्रुप हाउसिंग)	20.00	—	15.00	7.50	2.00
वाणिज्यिक गुडगांव - मुहुरौली सड़क पर		(i) 150 से ऊपर फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए 215.00 (ii) 150 तक फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए 185.00	(i) 150 से ऊपर फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए 165.00 (ii) 150 तक फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए 110.00	(i) 150 से ऊपर फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए 75.00 (ii) 150 तक फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए 50.00	(i) 150 से ऊपर फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए 15.00 (ii) 150 तक फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए 10.00
अन्य सड़कों पर					
(i) 150 से ऊपर फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए 270.00					
(ii) 150 तक फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए 215.00					
औद्योगिक	2.00	—	1.00	0.50	0.10

अनुराग रस्तोगी,
सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 6th August, 2013

No. PF-7/8/5/2013-2TCP.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (2) of Section 24 of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (8 of 1975) and with reference to Haryana Government, Town and Country Planning Department, Notification No. PF-7/35502, dated the 4th April, 2013, The Governor of Haryana here by makes the following rules further to amend the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Rules, 1976, namely:—

1. These rules may be called the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Rules, 2013.
2. They shall come into force with effect from 1st June, 2012.
3. In the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Rules, 1976, in the end, for the existing Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:—

“SCHEDULE

[See rule 3]

RATES OF LICENCE FEE PER GROSS ACRE

(In lacs per gross acre)

Category of Uses	Hyper Potential Zone	High-I Potential Zone	High-II Potential Zone	Medium Potential Zone	Low Potential Zone
1	2	3	4	5	6
	Areas forming part of the development plan of Gurgaon-Manesar Urban Complex.	Areas forming part of Development Plan of Faridabad-Ballabgarh Complex, Pinjore-Kalka Complex, Gwal Pahari & Periphery Controlled area of Panchkula (All for commercial use only).	(i) Areas forming part of Development Plan of Faridabad-Ballabgarh Complex, Pinjore-Kalka Complex, Gwal Pahari & Periphery Controlled area of Panchkula (All for other than commercial use); (ii) Area forming part of Development Plan of Sonapat-Kundli Urban Area Complex and Panipat; (iii) Part of Sohna Development Plan falling in Gurgaon District; and (iv) Any other Urban Area declared under clause (o) of Section 2 of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975	(i) Areas forming part of Development Plans of Karnal, Kurukshetra, Ambala, Yamuna Nagar-Jagadhari, Bahadurgarh, Hisar, Rohtak, Rewari, Gannaur, Palwal, Hodel, Bawal, Dharuhera and Prithla; (ii) The urban areas declared under clause (o) of Section 2 of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (8 of 1975) to cover the controlled areas declared under the Punjab Scheduled Roads and	All other urban areas in the State.

1	2	3	4	5	6
			(8 of 1975), to cover the Controlled Area declared in Gurgaon District excluding the areas forming part of Development Plan of the Gurgaon-Manesar Urban Complex, Development Plan Pataudi and Farukhnagar.	Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) in Faridabad District (excluding the Controlled Areas of Faridabad-Ballabgarh Complex) and Oil Refinery, Panipat (Baholi) in Panipat District.	
Residential (Plotted)	10.00	---	7.50	5.00	1.00
Residential (Group Housing)	20.00	---	15.00	7.50	2.00
Commercial	On Gurgaon-Mehrauli Road (i) 430.00 for Floor Area Ratio above 150 (ii) 320.00 for Floor Area Ratio upto 150 On other Roads (i) 270.00 for Floor Area Ratio above 150 (ii) 215.00 for Floor Area Ratio upto 150	(i) 215.00 for Floor Area Ratio above 150 (ii) 185.00 for Floor Area Ratio upto 150	(i) 165.00 for Floor Area Ratio above 150 (ii) 110.00 for Floor Area Ratio upto 150	(i) 75.00 for Floor Area Ratio above 150 (ii) 50.00 for Floor Area Ratio upto 150	(i) 15.00 for Floor Area Ratio above 150 (ii) 10.00 for Floor Area Ratio upto 150
Industrial	2.00	---	1.00	0.50	0.10"

ANURAG RASTOGI,
Secretary to Government Haryana,
Town and Country Planning Department.